बिहार राज्य अंतर्गत धान अधिप्राप्ति/गेहूँ अधिप्राप्ति (KMS/RMS) के लिए एक बार प्रयोग किए गए गन्नी बैग्स को जन वितरण प्रणाली (ज0वि0प्र0) विक्रेताओं के माध्यम से क्रय कर उपयोग करने हेतु संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया।

विगत वर्षों में नए गन्नी बैग की आपूर्ति गंभीर रूप से आवश्यकता से कम रही है और भारत सरकार एवं जूट आयुक्त के द्वारा नए गन्नी बैग की आपूर्ति देने में असमर्थता व्यक्त की जाती रही है। खाद्यान्न अधिप्राप्ति (चावल/गेहूँ) हेतु भारत सरकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पत्रांक 15-14/2018-Py.III दिनांक 24.04.2020 द्वारा एक बार प्रयोग किए गए गन्नी बैग को ज0वि0प्र0 विक्रेताओं के माध्यम से खरीद कर उपयोग करने हेतु सहमति (खरीफ विपणन मौसम, 2019–20) दी गई। तदोपरान्त, पुनः खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में पत्रांक 15-28/2020-Py.III दिनांक 22.03.2021 एवं रबी विपणन वर्ष 2021–22 में पत्रांक 15-4/2021-Py. III दिनांक 03.06.2021 द्वारा सहमति दी गई। वर्तमान समय में नए जूट बोरों की कमी को देखते हुए तथा विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न अधिप्राप्ति के समयबद्ध कार्यक्रम को ससमय पूरा किये जाने के उद्देश्य से यह मानक संचालन प्रक्रिया सहायक सिद्ध होगी।

1. **एक बार प्रयोग किए गए गन्नी बैग खरीद हेतु प्रशासनिक व्यवस्था** :–

क. पैक्स/व्यापार मंडलों के अवशेष सी0एम0आर0/गेहूँ को बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गोदामों में जमा कराए जाने के निमित्त आवश्यकता अनुसार गन्नी बैग की संख्या का आकलन कर संबंधित प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा इसकी सूचना जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। यह कार्य नए गन्नी बैग खत्म होने के कम–से–कम एक माह पूर्व कर लिया जाए।

ख. तदोपरान्त जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा पुराने गन्नी बैग की आवश्यकता के संबंधित प्रतिवेदन सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को कम से कम दस (10) दिन पूर्व उपलब्ध कराई जाए, चूँकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न वितरण मासिक कार्यक्रम है।

ग. एक बार प्रयोग किए गए गन्नी बैग का क्रय पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा उचित मूल्य दुकानदार से कंडिका – 02 में निर्धारित शर्तो के अधीन किया जाए।

घ. **गन्नी बैग की उपलब्धता हेतु अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे एंव अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को उसी अनुमण्डल क्षेत्र के पैक्स/व्यापार मंडल के साथ टैग किया जाए।**

ङ. अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में पैक्स/व्यापार मंडल तथा उचित मूल्य विक्रेता के बीच समन्वय स्थापित कर ज0वि0प्र0 में प्रयोग किए गए जूट बोरों को अच्छी स्थिति में पैक्स/व्यापार मंडल को उपलब्ध कराया जाए।

च. बिहार लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की धारा –36 के तहत सभी उचित मूल्य विक्रेताओं को यह अनिवार्य होगा कि लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण के लिए दिए गए एक बार प्रयोग किए गए पुराने बोरे को सरकार द्वारा अनुमेादित/स्वीकृत दर पर पैक्स/व्यापार मंडल को उपलब्ध कराया जाए। यदि कोई उचित मूल्य दुकानदार उक्त निदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे बिहार लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 का उल्लंघन मानते हुए धारा 27(1) के तहत अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाए।

छ. पर्यवेक्षण एवं समन्वय हेतु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति निरीक्षकों एवं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को इस कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया जाए।

ज. पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा क्रय किये गये पुराने गन्नी बैग से संबंधित भंडार पंजी का भी संधारण किया जाएगा, जिसमें क्रय से संबंधित डीलर का नाम/अनुज्ञप्ति संख्या/खाता संख्या/क्रय की मात्रा आदि की पूर्ण विवरणी दर्ज की जाएगी तथा इसे कम से कम 05 वर्षो तक सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि अंकेक्षण के समय कोई कठिनाई न हो।

एक बार प्रयोग किए गए गन्नी बैग हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का विवरणी

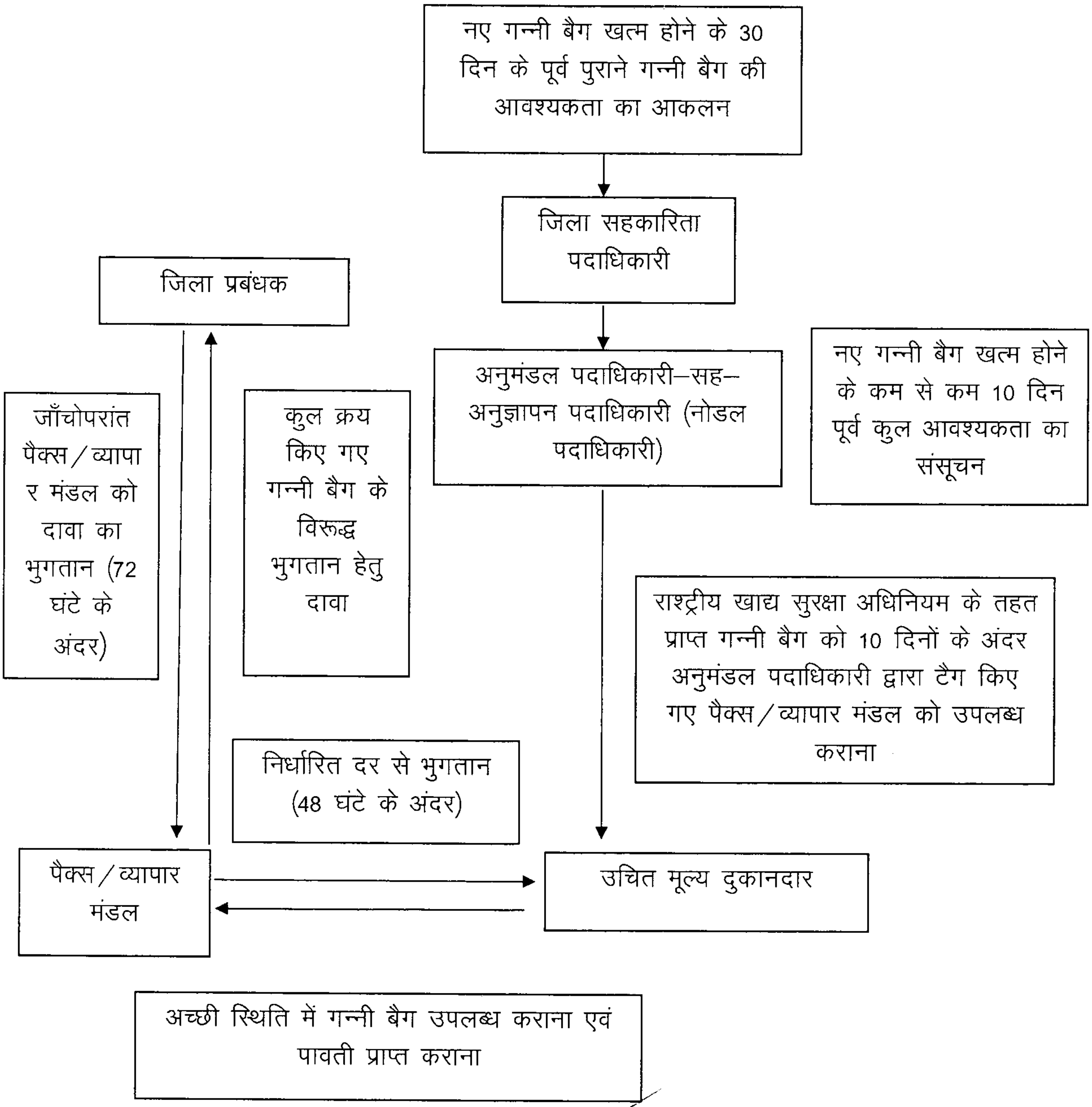

2. <u>एक बार प्रयोग किए गए गन्नी बैग की खरीद एवं उपयोग</u> :– धान अधिप्राप्ति/गेहूँ अधिप्राप्त हेतु भारत सरकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शर्तो के अधीन एक बार प्रयोग किए गए गन्नी बैग के उपयोग की सहमति की शर्ते निम्न प्रकार हैं :–

- **(i) Only sound Jute gunny bags without any cut or tear or major repair shall be used.**
- **(ii) Rice may be filled after reversing the bags and proper stenciling may be done as per the prescribed colour code.**
- **(iii) Stenciling on the bags shall clearly carry an additional mark of "Used bag allowed for KMS 2020-21"**
- **(iv) Colour of the stenciling to be done by rice millers/procuring agency delivering rice in used bags shall be red for easy identification.**
- **(v) State Agency shall ensure to maintain separate stack identity for the rice delivered in used gunny bags.**
- **(vi) Proper account shall be maintained for rice delivered in such bags and monthly report regarding use of used bags would be given to FCI during the time in which such bags are used.**
- **(vii) Separate claim regarding use of such bags would be submitted at the time of claiming food subsidy along with the copies of reports sent to FCI.**
- **(viii) An undertaking would be submitted by State government to the extent that the used gunnies are made of jute of Indian origin and made in India.**
- **(ix) In case of any deterioration in quality of wheat and resultant loss will not be responsibility of the Govt. of India and financial implication arising out of this, will not be borne by the Govt. of India.**
- **(x) Proper accounting of used bags being utilized for supply of wheat along with their costings, payment receipts, work orders etc, is to be maintained by State Govt. Agencies for verification/accounting purpose at the time of finalization & Audit etc.**
- **(xi) State Govt. should, as the first preference use the available new bags and as a last resort to the Used bags in the Current proposal.**

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा उपर्युक्त शर्तो का पालन करते हुए निम्न प्रकार के गन्नी बैग का खरीद किया जाएगा :–

- क. उन्हीं पुराने बैग का क्रय किया जायेगा जो बिहार राज्य खाद्य निगम/भारतीय खाद्य निगम विगत KMS/RMS से प्रयोग किया गया हो।
- ख. पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उसी वर्ष का एक बार प्रयोग किया गया बैग क्रय किया जाएगा, परन्तु विशेष परिस्थिति में आवश्यकता के अनुरूप उसी वर्ष का बैग अगर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो विगत वर्ष का बैग भी खरीदा जा सकता है तथा इसकी पहचान बैग पर जूट मील द्वारा की गई छपाई/कलर कोडिंग से की जा सकती है।
- ग. वैसे गन्नी बैग्स जो कटा–फटा नहीं हो अच्छी हालत में हो तथा जिसमें 50 किलो सी0एम0आर0 की पैकिंग की जा सकती हो, का ही क्रय किया जाएगा।
- घ पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता से क्रय किये गये बेल्स के लिए निर्धारित प्रपत्र में पावती दी जाएगी। साथ ही गुणवत्ता संबंधी सत्यापन भी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक द्वारा की जाए। (अनुसूची –1)।
- ङ भारत सरकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के शर्त के आलोक में अनुसूची –1 के क्रम संख्या –07 में यह भरा जाना आवश्यक होगा कि बोरा कहाँ से प्राप्त किया है, जिससे एक बार प्रयोग किए गए बोरे का उत्पत्ति स्थान एवं निर्माण भारत में किया गया है अथवा नहीं, स्पष्ट हो सके।

सी0एम0आर0 / गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु प्रयोग में लाने के लिए क्रय किये गये पुराने गन्नी बैग्स को उलटकर निम्न सूचनाओं को स्टैन्सिल के माध्यम से अनिवार्य रूप से लाल रंग में प्रदर्शित किया जाएगा :—

- पैक्स / व्यापार मंडल का नाम एवं कोड संख्या
- राईस मिल का नाम एवं कोड संख्या
- चावल का प्रकार (अरवा / उसना)
- वर्ग— सामान्य / ग्रेड ए0
- शुद्ध वजन
- खरीफ विपणन वर्ष
- लॉट संख्या

- प्रत्येक बैग पर 'Used Bag Allowed for" की छपाई Stencil द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
- भारत सरकार द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में बोरे के मुंह की सिलाई नीले / लाल रंग के धागे से की जाएगी।
- मिलर द्वारा सी0एम0आर0 युक्त बोरे के मुँह पर मशीन के माध्यम से 15cm X 10cm आकार का Rexin अथवा Canvas Slip की सिलाई की जाएगी, जिसके उपरी भाग पर पैक्स / व्यापार मंडल / मिलर का नाम, अधिप्राप्ति वर्ष, कोड संख्या, शुद्ध वजन, लॉट नं0 एवं चावल का प्रकार अंकित किया जाएगा।

3. <u>**एक बार प्रयोग किए गए गन्नी बैग का दर एवं भुगतान की प्रक्रिया**</u> :—

क. **<u>दर</u>** – भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पत्रांक संख्या 15-14/2018-Py.III -(E.371300) दिनांक 23.05. 2020, खरीफ विपणन वर्ष 2020—21 में पत्रांक 15-28/2020-Py.III दिनांक 22.03.2021 एवं रबी विपणन वर्ष 2021—22 में पत्रांक 15-4/2021-Py. III दिनांक 03.06.2021 द्वारा पुराने बैग का दर रूपये 22 / —प्रति बैग निर्धारित किया गया है, जो उचित मूल्य दुकानदार को क्रय गन्नी बैग के विरूद्ध पैक्स / व्यापार मंडल द्वारा भुगतान किया जाएगा। साथ ही, समय—समय पर गन्नी बैग दर में परिवर्तन होने पर तत्समय घोषित दर लागू होगा।

ख. सहकारी समितियों यथा पैक्सों एवं व्यापार मंडलों द्वारा जन वितरण प्रणाली से खरीदे गए पुराने गन्नी बैग का भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित प्रति बैग की दर से उनके खाते में ऑनलाईन माध्यम से 48 घंटे के अंदर किए जाने का प्रावधान है। पुराने गन्नी बैग के खरीद में नकद भुगतान नहीं किया जाएगा।

ग. पैक्सों द्वारा पुराने गन्नी बैग के भुगतान किए गए राशि की प्रतिपूर्ति जिला प्रबंधक द्वारा सीधे पैक्स / व्यापार मंडलों के खाते में की जाएगी।

घ **पैक्स / व्यापार मंडलों को <u>भुगतान की प्रक्रिया</u>** – जिला प्रबंधक द्वारा सी0एम0आर0 / गेहूँ जमा करने हेतु निर्गत acceptance order के आलोक में सी0एम0आर0 / गेहूँ जमा करते समय पैक्स / व्यापार मंडलों द्वारा गन्नी बैग क्रय करने संबंधी विहित प्रपत्र में विवरणी दो प्रति में उपलब्ध करायी जाएगी (अनुसूची –2), जिसके आलोक में गन्नी बैग की राशि की प्रतिपूर्ति जिला प्रबंधक द्वारा पैक्स / व्यापार मंडल को की जाएगी।

ड. सहायक प्रबंधक, सी0एम0आर0 / गेहूँ द्वारा acceptance order वार विवरणी की जाँच कर सी0एम0आर0 / गेहूँ विपत्र के साथ जिला प्रबंधकों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आलोक में जिला प्रबंधक द्वारा संबंधित पैक्स / व्यापार मंडल को राशि की प्रतिपूर्ति 72 घंटे के भीतर की जाएगी।

4. <u>पुराने गन्नी बैग में प्राप्त सी0एम0आर0/गेहूँ का भण्डारण</u> :— सहायक प्रबंधक, सी0एम0आर0 द्वारा पुराने बैग में प्राप्त सी0एम0आर0/गेहूँ की स्टैकिंग बिल्कुल अलग की जाएगी, इसके साथ नये बैग का स्टैकिंग नहीं किया जाएगा, जिससे निरीक्षण के दौरान स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जा सके।

5. <u>निगरानी एवं पर्यवेक्षण</u> :—

क. **पुराने गन्नी बैग क्रय की निगरानी एवं पर्यवेक्षण की पूर्ण दायित्व अनुमण्डल पदाधिकारी—सह—अनुज्ञापन पदाधिकारी की होगी जो नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग करेंगे एवं इसमें आने वाले समस्याओं का समाधान विभाग से आदेश प्राप्त कर करेंगे।**

ख. **कोविड —19 महामारी की अवधि में सरकार द्वारा समय—समय पर इससे संबंधित निदेशों यथा — सामाजिक दूरी, साफ—सफाई आदि का पालन किया जायेगा, जिससे महामारी के फैलाव से बचा जा सके।**

ग. यह महत्वपूर्ण है कि सभी जिले प्रत्येक अधिप्राप्ति वर्ष में सर्वप्रथम भारत सरकार से प्राप्त नए गन्नी बैग का उपयोग करते हुए चावल/गेहूँ बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। जूट बोरों की कमी होने पर ही मानक संचालन प्रक्रिया के तहत पुराने गन्नी बैग का क्रय उपयोग किया जाएगा।

17/6/2021

(दयानन्द मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्र010— विविध—06/2020 — 2193 खाद्य, पटना/दिनांक— 17.06.2021

प्रतिलिपि — सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्य महाप्रबंधक, अधिप्राप्ति, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/6/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुसूची –1

खरीफ विपणन वर्ष/रबी विपणन वर्ष ....अंतर्गत क्रय किये गये पुराने बैग की पावती (तीन प्रति में)

1	गन्नी बैग विक्रेता जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम	
2.	अनुज्ञप्ति संख्या	
3.	खाता संख्या	
4.	**IFSC** कोड	
5.	कुल क्रय बैग की मात्रा	
6.	कुल भुगतेय राशि @ 22.00 रूपया/बैग	
7.	जूट बैग को प्राप्त करने का स्रोत (जो लागू हो, चिन्हित करें तथा उत्पत्ति स्थान एवं भारत में निर्मित है अथवा नहीं अंकित करें।	**FCI/SFC/**अन्य उत्पत्ति स्थान– भारत में निर्मित– हाँ/नहीं

तिथि :–

समय :–

प्रमाणित किया जाता है कि बिना कटा–फटा बैग सही अवस्था में क्रय किया गया है।

जन वितरण प्रणाली विक्रेता का
हस्ताक्षर

अध्यक्ष
पैक्स/व्यापार मंडल
समिति का नाम–

अनुसूची – 2

खरीफ विपणन वर्ष/रबी विपणन वर्ष..............अंतर्गत एक बार प्रयोग किए गए जूट बोरों के क्रय एवं भुगतान की विवरणी। (दो प्रति में)

क्र0	पैक्स/व्यापार मंडल का नाम	लॉट संख्या	प्रयुक्त पुराने बोरे की संख्या	क्रय किये गये बोरा की विवरणी							किये गये भुगतान का प्रमाण का विवरण	अभ्युक्ति
				जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम (जिनसे बोरे का क्रय किया है)	अनुज्ञप्ति संख्या	क्रय बोरे की मात्रा	दर	जन वितरण प्रणाली विक्रेता का खाता संख्या	आई0एफ0सी0 कोड	भुगतान की गयी राशि		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

उपर्युक्त विहित प्रपत्र में क्रमांक–02 से क्रमांक–12 तक अंकित सूचनाओं की जॉच की गयी है एवं संबंधित अभिलेख से मिलान कर लिया गया है, जो सही है।

(अध्यक्ष)
पैक्स/व्यापार मंडल

नोट :– भुगतान के प्रमाण के रूप में डीलर के संबंधित खाता का पासबुक/पैक्स का पासबुक की छायाप्रति जिससे राशि हस्तानांतरण प्रमाणित हो सके।